

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 26.08.2023

जमीन बैनामा करने के नाम पर धोखाधड़ी कर छल पूर्वक पैसा गबन करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष एम्स के कुशल नेतृत्व में व030नि0 आशुतोष कुमार राय मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स071/2023 धारा 406/ 419/420 /467/ 468/ 471 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीनानाथ प्रजापति पुत्र मोहन प्रजापति निवासी कुसम्ही बाजार थाना एम्स जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

अभियुक्त द्वारा जालशाजी से आवेदक के सामने किसी अज्ञात व्यक्ति को मालिक बनाकर जमीन को बैनामा करने के नाम पर आवेदक से कुल लगभग 28,64,000 रूपया ले लेने के सम्बन्ध में।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

दीनानाथ प्रजापति पुत्र मोहन प्रजापति निवासी कुसम्ही बाजार थाना एम्स जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स071/2023 धारा406/419/420/467/468/471 भादवि थाना एम्स जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 मदन मोहन मिश्र, थानाध्यक्ष एम्स, जनपद गोरखपुर
2. व030नि0 आशुतोष कुमार राय थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का0 नन्दन कुमार शर्मा थाना एम्स जनपद गोरखपुर
4. का0 दीपक यादव थाना एम्स जनपद गोरखपुर